

तार-4, प्रश्न-1

परिशिष्ट-1 (9)

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल.

कमांक सी-3(1)/ब/4/2020-21/223

दिनांक 23/09/2020

आदेश

एकत. वस्ती क. सी-3(1)/ब/4/2020-21/ दिनांक 13.09.2020 पर
प्रशासनिक अनुमोदन अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में शून्य पावधान वाली
योजनाओं तथा कृषि में महिलाओं की भागीदारी (5361), मुख्यमंत्री खेती तीर्थ (7438),
सूरजधरा योजना (5091), अन्नपूर्णा योजना (8769) का कियान्वयन समस्त जिलों में
आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

25/9/2020
25/9/2020

कमांक सी-3(1)/ब/4/2020-21/223
प्रतिलिपि:-

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

दिनांक 23/09/2020

25/9/2020
25/9/2020

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल।
2. प्रमुखा सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा.मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा. राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
5. रागरस संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास।
6. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास।
7. अपर/सयुक्त/उप संचालक, कृषि में महिलाओं की भागीदारी, मुख्यमंत्री खेती तीर्थ, सूरजधरा योजना, अन्नपूर्णा योजना, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास।

कुलसिंह मालवीय
सहायक संचालक

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

राज्य प्रशासन अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
कृषि विभाग, गंताबय, भोपाल